

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

आर.ए.एस.

50 / 2025 प्रा.पत्र / 2025

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

30.05.2025

27.06.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण  
टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम  
1-श्री दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापत निवासी भांवती पोस्ट चैनपुरिया  
तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बीकानेरी रसगुल्ला एण्ड मिष्ठान भण्डार वनस्थली  
मोड निवाई जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 9672107638, 8696697429।  
2-मैसर्स बीकानेरी रसगुल्ला एण्ड मिष्ठान भण्डार वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक  
पिनकोड-304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)  
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)  
उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री दिनेश प्रजापत स्वयं उप0।


:-निर्णय:-

दिनांक 27/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 03.03.2025 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स बीकानेरी रसगुल्ला एण्ड मिष्ठान  
भण्डार वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता  
की हैसियत से श्री दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापत अपने प्रतिष्ठान मैसर्स  
बीकानेरी रसगुल्ला एण्ड मिष्ठान भण्डार वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ  
मिठाई, नमकीन, छैना आदि का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री दिनेश कुमार प्रजापत  
पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापत को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री  
दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापत ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना  
स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में एक परात में लगभग 10-12 किलोग्राम छैना  
रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

करने पर मानक स्तर का न होने एवं गिलावट की शंका होने पर श्री दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापत को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेताश्री दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्योजी लाल प्रजापतव गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान में एक परात में रखे लगभग 10-12 किलोग्राम छैना में से 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा छैना 1 किलोग्राम को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर-बराबर भरकार नियमानुसार चार भाग तैयार किये, (प्रत्येक भाग 250 ग्राम) बतौर परिरक्षित प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर, अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4279 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4279 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/364 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस/832/एक्ट/2025/904



ADL  
राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

दिनांक 17.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्तविक मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया छैना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार प्रजापत स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस छैना का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया छैना का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये बालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सामरतन सिंह किरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०